


## कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

पृष्ठांकन क्र. 963/दो-11-5/17

सागर दिनांक 04/03/2024

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, कार्यालय/नजारत अनुभाग सागर/खुरई
- 2- श्री मयंक शुक्ला पंचम जिला न्यायाधीश सागर।
- 3- श्री आशीष परसाई जिला न्यायाधीश बंडा।
- 3- प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायाधीश, सागर।
- 7- कम्प्युटर अनुभाग, सागर की ओर ई-माध्यम से सर्वसंबंधित को सूचनार्थ प्रेषित करने हेतु।
- 8- लेखापाल/वेतन लिपिक/प्रेषक लिपिक कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
- 9- श्री विकास जैन, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय अनुभाग सागर की ओर आदेश को एच. आर.एम.एस.सॉफ्टवेयर में अपडेट करने हेतु प्रेषित।
- 10- संबंधित कर्मचारी.....  
की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नवीन पदस्थापना पर 07 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर सूचना कार्यालय की ओर प्रेषित करें।

  
(प्रदीप सोनी)

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर

# कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

**// आदेश //**

क्रमांक 275/दो-11-5/17

सागर दिनांक 04 /03/2024


प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापना निम्नानुसार की जाती है—

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कहां से	कहां को	किसके स्थान पर
1	श्री जयनारायण भृत्य	भृत्य नजारत अनुभाग खुरई	नजारत अनुभाग सागर	रिक्त स्थान पर
2	श्री अंजनी कुमार पटैरिया आ.नि.कर्मचारी	भृत्य/आवासीय कार्यालय पंचम जिला न्यायाधीश सागर (श्री मयंक शुक्ला)	बोर्ड प्यून जिला न्यायाधीश बंडा के अतिरिक्त न्यायाधीश बंडा (श्री आशीष परसाई)	रिक्त स्थान पर
3	श्री अरुण सिंह राजपूत आ.नि. कर्मचारी	आसंजित आवासीय कार्यालय प्रधान जिला न्यायाधीश सागर	भृत्य/आवासीय कार्यालय पंचम जिला न्यायाधीश सागर (श्री मयंक शुक्ला)	श्री अंजनी पटैरिया के स्थान पर

नोट—

- श्री कोमल अहिरवार भृत्य, आसंजित प्रतिलिपि अनुभाग खुरई का आदेश क्रं 181/दो-11-5/17 सागर दिनांक 03.02.2024 में क्रमांक 02 पर उल्लेखित बोर्ड प्यून श्री आशीष परसाई, जिला न्यायाधीश बंडा के अतिरिक्त न्यायाधीश बंडा के न्यायालय में किया गया स्थानांतरण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में अनुशानात्मक कार्यवाही की जावेगी।

**उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।**

  
(प्रदीप सोनी)

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर